



कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
झारखण्ड



श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह
माननीय मंत्री
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता
विभाग, झारखण्ड



श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड

किसान समृद्धि योजना

मार्गनिर्देशिका

पर्यावरण असंतुलन तथा जलवायु में जीवाश्म ईंधनों के योगदान के अवांछित प्रभाव को देखते हुए, वैश्विक स्तर पर, जीवाश्म ईंधन के स्थान पर उर्जा के नवीकरणीय वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग बढ़ रहा है। भारत, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत तक करने के लिये प्रतिबद्ध है। झारखण्ड सरकार भी राष्ट्रीय प्राथमिकता में अपनी भूमिका निभाते हुए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सौर उर्जा जैसे नवीकरणीय उर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

'किसान समृद्धि योजना' झारखण्ड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कृषि में सिंचाई के लिए उपयोग में लाये जा रहे जीवाश्म ईंधन आधारित उर्जा स्रोत के स्थान पर उर्जा चालित सिंचाई इकाईयों की स्थापना देकर कृषि उत्पादन लागत को कम करके झारखण्ड को कृषि प्रतिस्पर्धी बनायेगी तथा किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगी।

योजना का उद्देश्य

	उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी में वृद्धि करना।
	कृषि में सिंचाई लागत को कम कर कृषि उत्पादन लागत को कम करना।
	टिकाऊ तथा भरोसेमंद सिंचाई प्रणाली की स्थापना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को सालोभर सिंचित खेती के लिए प्रेरित करना।
	स्थानीय स्तर पर सालोभर उच्च पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाना।
	कृषि क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर सालोभर रोजगार सृजन कर पलायन को रोकना।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- ◆ यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में चलाई जायेगी।
- ◆ यह सभी तरह के जल स्रोतों (कुआँ, नदी, झरना, तालाब, चेक डैम इत्यादि) से जल उठाव में उपयोगी है।
- ◆ इस योजना के अन्तर्गत दो तरह की सिंचाई इकाईयों की स्थापना/वितरण का प्रावधान है।
 - ◆ 5HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट उद्वह सिंचाई इकाई।
 - ◆ 2HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट चलंत सिंचाई इकाई।
- ◆ योजना में सरकार निर्धारित न्यूनतम दर पर 90 प्रतिशत तक अनुदान देगी एवं 10 प्रतिशत अंशदान लाभुकों द्वारा दिया जायेगा।
- ◆ योजना के अन्तर्गत लाभुकों का चयन ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
- ◆ इस योजना के अन्तर्गत स्थापित/वितरित सिंचाई इकाईयों की कम से कम 5 वर्षों तक रख रखाव तथा मरम्मत की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
- ◆ आपूर्तिकर्ता की जवाबदेही है कि वह प्रत्येक सोलर सिंचाई इकाई में GPS अधिष्ठापित करते हुए प्रणाली आपूर्ति करेंगे एवं मुख्यालय स्तर पर GPS Monitoring हेतु Software/Dashboard उपलब्ध कराएंगे।
- ◆ आँधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि तथा चोरी के विरुद्ध पम्प सेट के लिए 5 वर्षों तक बीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी। सोलर पैनल पम्पसेट की वारंटी MNRE के मापदण्ड के अनुसार होगी।
- ◆ सभी तरह के वारंटी, तकनीकी मेंटनेंस, चोरी, वार्षिक मेंटनेंस इत्यादि आपूर्तिकर्ता के दर के अन्तर्गत सम्मिलित रहेगी।
- ◆ GPS अधिष्ठापन सहित सोलर चालित सिंचाई इकाई के रखरखाव, मरम्मत कार्य एवं 5 वर्षों तक बीमा सुरक्षा पर होने वाले व्यय के लिए आपूर्तिकर्ता के दर के आधार पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाएगा।
- ◆ लाभुकों को इकाई के परिचालन तथा रख रखाव का प्रशिक्षण आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया जाएगा।
- ◆ इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।

- ◆ इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभुकों को केवल एक बार ही अनुदान का लाभ दिया जायेगा। समूह की स्थिति में समूह के सभी सदस्यों को कम से कम 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा आधारित पम्प सेट इकाई की मुख्य विशेषताएँ

5 HP सतही सौर उर्जा पम्पसेट आधारित उद्वह सिंचाई इकाई

इसके अन्तर्गत नदी, नाले, तालाब, चेकडैम, बड़े कुएँ जैसे जलस्रोत जहाँ प्रायः सालों भर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध रहता है, पर 5 HP क्षमता के सौर उर्जा चालित सतही पम्पसेट आधारित छोटे उद्वह सिंचाई इकाई स्थापित किये जायेंगे जिनकी सिंचाई क्षमता लगभग 05 एकड़ होगी, इस उद्वह सिंचाई इकाईयों की स्थापना एकल/सामूहिक इकाई के रूप में की जाएगी।



2 HP सतही सौर उर्जा पम्पसेट आधारित चलंत सिंचाई इकाई

इसके अन्तर्गत नदी, नाले, तालाब, चेक डैम, कूप जैसे जलस्रोत जहाँ सालोभर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है, पर 2 HP क्षमता के सौर उर्जा चालित सतही पम्पसेट आधारित चलंत सिंचाई इकाई किसानों को प्रदान किये जायेंगे जिनकी सिंचाई क्षमता लगभग 01 एकड़ होगी। इस प्रकार की सिंचाई इकाईयाँ ट्राली के उपर अवस्थित होंगी और जो किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर उपयोग के लिये प्रदान की जाएंगी।

■ किसान/आवेदक की पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया

- ◆ कृषक समूह/स्वयं सहायता समूह/FPO/FPC/Co-operatives की ओर से समूह/संस्था के अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं।
- ◆ आवेदक किसान/अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी का आधार राशन कार्ड का e-KYC होगा।
- ◆ आवेदन में FPO/FPC/LAMPS/PACS के User Group लाभुकों की विवरणी देनी होगी।
- ◆ किसान/समूह/संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदकों की भूमि जल स्रोत के पास में ही हो, अन्यथा भूमि निरीक्षण के दौरान आवेदन सही नहीं पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

पात्रता

- ◆ व्यक्तिगत किसान/कृषक समूह/FPO/FPC/LAMPS/PACS के सदस्य शेयर होल्डर— झारखण्ड राज्य का स्थानीय होना चाहिए।
- ◆ कृषक समूह/महिला स्वयं सहायता समूह (JSLPS पंजीकृत)/FPO/FPC/LAMPS/PACS का पंजीकृत कार्यालय झारखण्ड राज्य में होना चाहिए।
- ◆ किसान/सदस्य/शेयर होल्डर की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- ◆ किसान/सदस्य/शेयर होल्डर के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए।
- ◆ एक परिवार से एक ही सदस्य पात्र होंगे।
- ◆ किसान/परिवार/समूह के सदस्य के पास जल स्रोत एवं जमीन होने का प्रमाण होना चाहिए।
- ◆ आधार लिंकड मोबाईल नम्बर होना चाहिए।
- ◆ आधार लिंकड राशन कार्ड होना चाहिए।

■ आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज

01. व्यक्तिगत किसान

- ◆ जमीन का मालगुजारी रसीद
- ◆ वंशावली का शपथ पत्र/JRFY से अनुबंधित किसान।
- ◆ आधार कार्ड का फोटो कॉपी
- ◆ बैंक पासबुक का फोटो कॉपी
- ◆ आधार लिंकड मोबाईल नम्बर

02. कृषक समूह/स्वयं सहायता समूह /FPO/ FPC/LAMPS/PACS

- ◆ संस्था पंजीकरण का प्रमाण—पत्र
- ◆ अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी का आधार कार्ड तथा आधार लिंकड मोबाईल नम्बर
- ◆ यूजर ग्रुप के सदस्यों का आधार कार्ड।
- ◆ जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है, उस भूमि का मालगुजारी रसीद।
- ◆ संस्था का बैंक खाता।

■ निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक इस योजना के पात्र नहीं होंगे

1. बटाईदार किसान
2. अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है
3. राज्य/केन्द्र सरकार के साथ-साथ पी0एस0यू0 और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी
4. डॉक्टर, इंजीनीयर, Chartered Accountant आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स।
5. सरकारी कर्मी (चतुर्थ वर्गीय कर्मी को छोड़कर)
6. समूह/FPO/FPC/LAMPS/PACS के सदस्य का अलग से आवेदन, अगर समूह आवेदन कर रहा है और सदस्य का भी नाम आवेदन में है।
7. अन्य किसी विभाग या संस्था से समरूप सिंचाई योजना से आच्छादित लाभुक एवं उनके परिवार के सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा या स्वयं द्वारा पूर्व में ऐसी इकाई अधिष्ठापित की गयी हो।
8. काली सूची में दर्ज किसान उत्पादक समूह/किसान उत्पादक कम्पनी, सहकारी समिति इत्यादि को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
9. PM-KUSUM या अन्य योजना के तहत इस तरह के लाभ लिए होंगे।

किसान समृद्धि योजना से लाभ :

- ◆ सौर ऊर्जा से चलने के कारण बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे विद्युत ऊर्जा में बचत।
- ◆ सौर ऊर्जा से चलने के कारण इसे किसी भी मौसम में सिंचाई का प्रयोग कर खेती की जा सकती है।
- ◆ 2HP सतही सौर ऊर्जा पम्पसेट आधारित चलंत सिंचाई ईकाई को किसी भी स्थान पर असानी से लेकर जाया जा सकता है।
- ◆ इसके रख-रखाव पर खर्च कम।



■ आवेदन एवं लाभुक चयन

◆ पात्र आवेदक अपना आवेदन दिये गये आवेदन प्रपत्र (क, ख एवं ग) में सारी वांछित जानकारी भरेंगे।

◆ आवेदक आवेदन करने के लिए योजना के पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे। आवेदन पत्र भरने के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कराना होगा।

◆ ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित आवेदन तथा वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदक को अपने नजदीकी CSC (प्रज्ञा केन्द्र / लैम्स / पैक्स) या अन्य सेवा केन्द्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी तथा आवेदक को CSC हेतु निर्धारित सेवा शुल्क का वहन करना होगा।

◆ CSC (प्रज्ञा केन्द्र / लैम्स / पैक्स) द्वारा आवेदकों की सारी जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन भरी जायेगी तथा वांछित दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। साथ ही आवेदक अपना आधार तथा राशन कार्ड आधारित e-KYC करायेंगे।

◆ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को रसीद / पंजीकरण संख्या प्रदान की जायेगी, जो कि भविष्य में Reference के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

◆ ऑनलाइन आवेदन जमा होने के उपरान्त परियोजना निदेशक आत्मा (PIA) / जिला कृषि पदाधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की गहन जाँच करेंगे तथा पात्र आवेदक सही आवेदक को निदेशक, समेति को ऑनलाइन अनुमोदन कर अग्रसारित करेंगे।

■ प्रज्ञा केन्द्रों (Common Service Centres) / Banking Component / LAMPS / PACS (e-KYC सुविधा के लिए) की भूमिका

◆ किसानों के द्वार पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू करने के लिए प्रज्ञा केन्द्रों (CSC) / Banking Correspondent / LAMPS / PACS की सेवाएँ ली जायेगी।

◆ योजना वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगी और प्रज्ञा केन्द्रों (CSC) / Banking Correspondent / LAMPS / PACS इत्यादि में भी उपलब्ध होगी।

◆ पात्र आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए अपने निकटतम प्रज्ञा केन्द्र (CSC) / Banking Correspondent / LAMPS / PACS इत्यादि में आएंगे।

◆ प्रज्ञा केन्द्र (CSC) / Banking Correspondent / LAMPS / PACS इत्यादि आवेदक हेतु e-KYC के लिए सुविधा की व्यवस्था करेंगे।

◆ आवेदन की प्रक्रिया में प्रज्ञा केन्द्र या अन्य को देय शुल्क का वहन आवेदक द्वारा किया जायेगा।

किसान कॉल सेंटर

1800-180-1551 / 1800-123-1136

मुख्यमंत्री किसान सहयोग कोषांग

0651-2490542 / 7632996429



राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन प्रसार-सह-प्रशिक्षण संस्थान (समेति), झारखण्ड

द्वितीय तल, समेति भवन, काँके रोड, राँची, झारखण्ड

Web : www.sameti.org, E-mail : sametijharkhand@rediffmail.com